तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
21/5/25	पत्रावली पेश हुई। अभि० वादी उपस्थित [illegible] पेश। [illegible] बहस [illegible] साक्ष्य वादी हेतु नहीं [illegible] हुई। अभि० वादी की बहस [illegible] सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 26/5/25 को पेश हो। [signature]
26/5/25	पत्रावली पेश हुई। अभि० वादी उपस्थित। वाद पत्र वादी विरुद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर आदेशित किया गया। पत्रावली फैसला शुमार हो। नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलक्टर उच्चैन (भरतपुर)

न्यायालय सहायक कलक्टर उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः– सुश्री भारती गुप्ता (आर.ए.एस)
प्रार्थना पत्र कमांकः– 127/2022

1. कमलसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह जाति कुशवाह निवासी बहरावली तहसील उच्चैन।

.........वादी

बनाम

1. विशन पुत्र दौजी(मृतक)
2. बबलू पुत्र विशन
3. शीला पत्नि विशन
4. ज्योतीदेवी पत्नि बबलू जातियान महतर निवासीयान बहरावली तहसील उच्चैन।

.........प्रतिवादीगण

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 188 आर.टी.ए.

उपस्थिति

1. श्री नरेन्द्रपाल कुशवाह एडवोकेट

निर्णय दिनांकः–26.05.2025

वादिनी ने यह वाद पत्र जरिये अधिवक्ता राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि मुझ वादी की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 1187/770 रकवा 12 विस्वा वाके ग्राम बहरावली तहसील उच्चैन में स्थित है। उक्त विवादित आराजी में मुझ वादी का अपने पुरखों के जमाने से लेकर आज तक वदस्तूर कब्जे काश्त कई वर्षो से चली आ रही है और समय समय पर फसल काटता एवं बोता चला आ रहा है प्रतिवादीगण का उक्त विवादित आराजी से कोई लेना देना एवं सम्बन्ध सरोकार नहीं है और न ही भविष्य में कभी रहा है फिर भी प्रतिवादीगण बिना किसी अधिकार एवं कानून के अपने लट्ठ एवं ताकत के बल पर अपनी जाति सूचक शब्दों के बल पर 3 एस सी एस टी एक्ट के नाजायज एवं गैरकानूनी तौर पर झूठा केस लगाने की धमकी देकर हमको विवादित आराजी खसरा नम्बर 1187/770 से पूर्वी उत्तरी कौने में अवैधानिक रूप से कब्जा करने के इरादे से हमारी आराजी से मिट्टी उठाकर हमारी ही आराजी में नीम खोदकर कच्चा निमार्ण कार्य प्रारम्भ करने पर उतारू है जिसका कि उनको किसी भी प्रकार का कोई कानूनी हक एवं अधिकार नहीं है। उक्त आराजी के बगल में एवं आसपास कोई आराजी एवं स्थान नहीं है फिर भी मुझको उक्त विवादित आराजी से बेदखल करना चाहते है। दिनांक 01.05.2014 को सभी प्रतिवादीगण एकराय मशविरा होकर अपने हाथों में फावडा परात लेकर आ गये और आते ही मेरी आराजी खसरा नम्बर 1187/770 में जबरन लाठी एवं ताकत के बल पर एवं 3 एससीएसटी एक्ट का झूठा केस दायर करने के बल पर कब्जा करने के इरादे से

सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)

विवादित आराजी के पूर्वी उत्तरी कोने में नीव खोदकर कच्चा निर्माण प्रारम्भ कर दिया जब वादी ने ऐसा करने से मना किया तो प्रतिवादीगण ने विवादित आराजी पर कब्जा करने एवं वादी को झूठे 3 एससीएसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दी एवं वादी को आराजी से बेदखल करने की धमकी दी जिसके कारण वादी ने यह वादपत्र इस न्यायालय में पेश किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 3 बाबजूद रजिस्टर तलबी उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 15.01.2019 को इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यबाही अमल में लायी गयी। प्रति0 संख्या 2 व 4 के अभिभाषक एवं स्वंम प्रतिवादी उपस्थित नहीं होने के कारण इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। वादी की ओर से पीडब्लयू–1 कमलसिंह, पीडब्लयू–2 भोलाराम, पीडब्लयू–3 तुलाराम ने शपथ पत्र पेश किये है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। अभिभाषक वादी ने वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि वादी विवादित आराजी का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादीगण वादीगण की आराजी के पूर्वी उत्तरी कोने पर नीवं खोदकर कच्चा निर्माण करना चाहते है जब वादी के द्वारा प्रतिवादीगण को उसकी आराजी पर कब्जा करने से रोका तो प्रतिवादीगण वादी को 3एससीएसटी एक्ट के तहत झुठा मुकदमा लगाकर जेल भिजवाने की धमकी देते है। वादपत्र डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधज्ञा पाबंद किये जाने का निवेदन किया है।

मेरे द्वारा विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया गया। वादपत्र एवं वादपत्र के साथ पेश राजस्व रिकार्ड एवं शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। प्रतिवादीगण उक्त प्रकरण में बाबजूद सूचना के उपस्थित नहीं आये ना ही प्रतिवादीगण के द्वारा उक्त प्रकरण में जबाव पेश किया गया है। वादी उक्त विवादित आराजी का रिकार्डेड खातेदार है। अतः वादी, प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधज्ञा से पाबंद करा पाने का अधिकारी है।

–:अतः आदेश है:–

वाद पत्र वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधज्ञा पाबंद किया जाता है कि वे विवादित आराजी खसरा नम्बर 1187/770 रकवा 12 विस्वा (मुताबिक जमाबंदी सम्बत् 2070–2073) बाके ग्राम बहरावली तहसील उच्चैन में मिट्टी उठाकर कच्चा निर्माण न करें एवं किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप ना करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 26.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Bharti

भारती गुप्ता (आर0ए0एस0)
सहायक कलक्टर
उच्चैन भरतपुर

सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)

डिगरी व मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Gode, Appendix D-1)

अज अदालत ....सहायक कलक्टर.... मुकाम ....उच्चैन....

व इजलास....सुश्री भारती गुप्ता (R.A.S.)....

....रामसिंह.... बनाम ....किशन वगैरह....

दावा बाबत् ....धारा 188 RTA....

मुकदमा नं. ....18/2014.... सन्....

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसालं कतई रू–ब–रू....दोनों....

व हाजरी....श्री नरेन्द्र पाल कुशवाह एड0....मिनजानिब ....

.... मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाता है कि ....वाद पत्र वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है। प्रति0 को स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वे विवादित आराजी ख0नं0 1187/220 रकबा 12 बिस्वा (मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2070–2073) वाके ग्राम बहरावली तहसील उच्चैन के हिस्से उठाकर कब्जा निर्माण न करे एवं किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप ना करे।

आज.... मुबलिग.... बाबत्....

खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह ....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख बसूलयावी तक.... का अदा करें।

वसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख....26.... माह....05.... वर्ष....2025....

को जारी की गई।

दस्तखत....Bharti....

मुहर

ओहदा....सहायक कलक्टर उच्चैन (भरतपुर)....

मुद्दई	रुपया	पैसे	मुद्दालय	रुपये	पैसे
स्टाम्प अरजीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अरजी		
स्टाम्प वजह सवूत			महनताना वकील)पर..........		
महनताना वकील)पर..........			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			वावत इजराय हुक्मनामा		
वावत इजराय हुक्मनामा					
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

न्यायालय सहायक कलक्टर उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः– सुश्री भारती गुप्ता (आर.ए.एस)

प्रार्थना पत्र कमांकः– 127 / 2022

1. कमलसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह जाति कुशवाह निवासी वहरावली तहसील उच्चैन।

.........वादी

बनाम

1. विशन पुत्र दौजी(मृतक)
2. ववलू पुत्र विशन
3. शीला पत्नि विशन
4. ज्योतीदेवी पत्नि ववलू जातियान महतर निवासीयान वहरावली तहसील उच्चैन।

.........प्रतिवादीगण

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 188 आर.टी.ए.

सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)